POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2017/अंक 06

मासिक प्रेषण दि. 8 जून, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 जून, 2017 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! पिछले कुछ सालों से देश में बड़ी तेजी से ऐतिहासिक एवं सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। अब जल्द ही देश में नया सुधार, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने जा रहा है।

प्रसन्नता यह है कि राष्ट्रीय हित में इस कर सुधार को सभी राजनैतिक दलों ने बिना किसी नीतिगत विरोध के अपना समर्थन दिया है। हालांकि शुरू में कुछ अड़चनें भी आईं लेकिन सरकार व विपक्ष के रचनात्मक सहयोग से इस सुधार को स्वीकृति मिली।

जीएसटी अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आएगा। इसके लागू होने पर देश में करों की जटिलता समाप्त होने की उम्मीद है। अभी लग रहे टैक्स (जैसे केन्द्रीय उत्पाद कर, बिक्री कर, सेवा कर, वैट आदि) हटा दिए जाएंगे। इनकी जगह सिर्फ एक टैक्स (जीएसटी) ले लेगा। इससे पूरा देश एकीकृत बाजार में बदल जाएगा। अब पूरे देश में एक ही वस्तु की एक ही कीमत चुकानी होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कई बाधाएं खत्म हो जाएंगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। घरेलू उद्योगों का लाभ बढ़ेगा। सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होगा। इससे ट्रांसपोर्ट खर्च कम होने से सामान्य उपभोग की वस्तुएं सस्ती मिलेंगी। जिसका लाभ आम उपभोक्ता तक पहुंचेगा।

खासतौर से यह हमारी विकास दर को बढ़ाने में सहायक होगा तथा देश की अर्थव्यवस्था में भी तेजी से सुधार आएगा। राजस्थान विधानसभा में भी जीएसटी बिल पर मुहर लग चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट में अब दायर कर सकते हैं ऑनलाइन याचिका

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के प्रधान न्यायाधीश की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट की एकीकृत मुकदमा प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है। उद्घाटन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे वकीलों को ई-फाइलिंग करने का विकल्प मिलेगा और वे अपने कार्यालयों से ही याचिका दायर कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि ई-फाइलिंग प्रणाली सबसे बेहतर प्रणाली है, इसे और बेहतर बनाया जाएगा। इससे पर्यावरण की रक्षा में मदद मिलेगी। इस प्रणाली से वादियों को आंकड़ें और ऑनलाइन सूचना हासिल करने में मदद मिलेगी। यह सुप्रीम कोर्ट में कागज रहित काम की दिशा में एक अहम कदम होगा।

आगे क्या:

इस सिस्टम से जल्द ही देश के सभी उच्च न्यायालयों व निचली अदालतों को जोड़ दिया जाएगा। अदालत के शुल्क और प्रक्रिया शुल्क की गणना भी ऑनलाइन की जाएगी।

प्रधान न्यायाधीश जे.एस. खेहर ने इस मौके पर कहा कि सभी 24 उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में भी इस प्रणाली को लागू करने का प्रस्ताव है। इस व्यवस्था से पारदर्शिता आएगी, हेरफेर कम होगा और वादी को वास्तविक समय में अपने मुकदमे की प्रगति के बारे में जानने में मदद मिलेगी। अदालत के शुल्क और प्रक्रिया शुल्क की गणना भी ऑनलाइन की जाएगी। जिससे वादी को इसमें आने वाली लागत का पता लग जाएगा।

बिजली बिल में ज्यादा राशि वसूलना गलत

जयपुर स्थित गोपालपुरा बाइपास निवासी कृपा देवी ने उपभोक्ता मंच द्वितीय में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के खिलाफ परिवाद दायर करते हुए बताया कि विद्युत निगम ने उनके घर में चलने वाली आटा चक्की को एक कनेक्शन दिया था। राशि बकाया होने पर 2007 में इस कनेक्शन को काट दिया गया। इसके बाद विद्युत निगम ने उसे दिसंबर 2014 के लिए 34,203 रुपए का बिजली बिल भेजा। जबकि इस माह में सिर्फ 272 यूनिट बिजली ही उपभोग ली गई थी। उसने इसकी शिकायत भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में बताया गया कि उनके घर में सात साल पहले लगी आटा चक्की के बिल की बकाया को इस बिल में जोड़ा गया है।

मामले की सुनवाई पर मंच ने माना कि कृपा देवी के नाम से कनेक्शन में किसी तरह का कोई बकाया नहीं था। साथ ही, उनके घर पर लगी चक्की का कनेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम था। नियमानुसार कोई भी बकाया राशि सिर्फ दो साल के अन्दर ही वसूली जा सकती है। जबकि विद्युत निगम ने सात साल बाद यह राशि कृपा देवी के बिल में जोड़कर भेजी, जो गलत है। उपभोक्ता मंच ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को आदेश दिया कि वह कृपा देवी से सिर्फ उपभोग की गई बिजली का ही बिल वसूल कर सकता है। बाकी राशि उनसे प्राप्त करने का उसे कोई अधिकार नहीं है।

बैंक उपभोक्ता अपने अधिकारों को जानें

बैंक उपभोक्ता अपने अधिकारों को समझें और जागरूक रह कर अपने जमा धन का सकारात्मक ढंग से प्रबंधन करें, तो वह कई तरीकों से लाभान्वित हो सकता है। आधी-अधूरी जानकारी से किए गए बैंकिंग व्यवहार उसके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं।

जोबनेर स्थित नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के सभा भवन में भारतीय रिजर्व बैंक व 'कट्स' संस्था के सहयोग से आयोजित 'जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता' कार्यशाला में मुख्य अतिथि लीना जे. शर्मा, सहायक मैनेजर, भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय विकास विभाग ने अपने संबोधन में यह सन्देश दिया।

उन्होंने डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के उपयोग की जानकारी, बैंकिंग व्यवहार में सावधानी बरतने, अनावश्यक ऋण जाल में न फंसने की सलाह देते हुए बताया कि अगर बैंक द्वारा गलत जानकारी देकर निवेश कराया जाता है, तो यह संबंधित बैंक की लापरवाही होगी। इसकी शिकायत बैंकिंग लोकपाल, रिजर्व बैंक को की जा सकती है। कार्यक्रम में दिशा ट्रस्ट के चीफ काउंसलर मुनीष कोठारी व विभिन्न बैंकों के स्थानीय अधिकारियों ने बैंकों में सुरक्षित निवेश व उपायों के बारे में अनेक जानकारियां प्रदान की।

'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने 'कट्स' द्वारा सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से लोगों के बीच चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर खाताधारक को बैंक अधिकारियों से भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन 'कट्स' की सहयोगी संस्था आत्माराम संस्थान के सचिव आत्माराम ने किया।

किसानों को भाई सौर ऊर्जा से खेती

प्रदेश में बहुत से किसान खेतों में सिंचाई के लिए अब बिजली की बजाय सौर ऊर्जा का उपयोग करने लगे हैं। इस साल प्रदेश के साढ़े नौ हजार किसानों ने अपने खेत में सोलर पंप सिस्टम लगाकर भारी बिजली बिल से छुटकारा पाया है।

इससे किसानों को बिजली गुल होने और दरें बढ़ने की चिंता से भी राहत मिली है। किसानों को सोलर पंप का उपयोग करने पर 60 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है। बिजली कनेक्शन सरेंडर करके सोलर पंप खरीदने वाले किसानों को 75 फीसदी अनुदान दिया जाता है।

पहला जैविक गांव बना घाटी

उदयपुर जिले की जयसमंद तहसील स्थित घाटी गांव प्रदेश का पहला जैविक गांव बन गया। गांव के किसानों की चार साल की कड़ी मेहनत के बाद केंद्र सरकार की जैविक प्रमाणीकरण संस्था ने इस गांव को पूर्ण जैविक गांव घोषित किया है।

इस गांव में जहां पहले रासायनिक खाद का उपयोग कर 30 क्विंटल प्रति हैक्टेयर उत्पादन हो रहा था अब जैविक खाद का उपयोग कर 40 क्विंटल उत्पादन हो रहा है। किसानों को उम्मीद है कि उत्पादित गेहूं जैविक होने के कारण इसे बाजार में कम से कम 2500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बेचा जा सकेगा।

अफसरों की ढिलाई से रेंगते रहे वादे

राज्य सरकार बजट में बड़े-बड़े वादे कर जनता को उम्मीद बंधा देती है, लेकिन अफसरशाही की ढिलाई के चलते कई घोषणाएं सालों तक पूरी ही नहीं होती। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है।

प्रदेश के बजट 2015-16 का रिव्यू किया तो यह सामने आया। जो घोषणाएं उसी वित्त वर्ष में पूरी होनी थी, उसके काम उस वर्ष में शुरू ही नहीं हुए। इनमें ऊर्जा,पर्यटन, पशुपालन, शिक्षा, मेडिकल हेल्थ व मेडिकल शिक्षा से जुड़ी घोषणाएं शामिल हैं।

केंद्र से जुड़ेंगी ग्राम पंचायतें

केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा देशभर में फैली करीब ढाई लाख ग्राम पंचायतों को सीधा केन्द्र से जोड़ने की कवायद की जा रही है। ताकि राज्यों के साथ-साथ केन्द्र सरकार की ग्रामीण विकास समेत सभी कल्याणकारी योजनाएं भी निचले स्तर तक जल्द पहुंच सके।

केंद्र सरकार का मानना है कि इससे समय और धन की बचत होगी एवं ग्रामीण क्षेत्र के संसाधनों का अधिकतम उपयोग भी हो सकेगा।

मिलेंगी बीपीएल की तर्ज पर सुविधाएं

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत अब तीन लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को बीपीएल की तर्ज पर सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी।

पहले यह सीमा एक लाख रुपए वार्षिक तय थी, जिसमें बढ़ोतरी की गई है। स्वायत शासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अब मिशन के तहत तीन लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

गांव जुड़ेंगे पाइप लाइन से

प्रदेश में चार हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों को जल्द ही पीने का शुद्ध पानी मुहैया कराया जाएगा। गांवों तक पाइप लाइन का जाल बिछाया जाएगा। इसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

यह जानकारी देते हुए जलदाय मंत्री सुरेन्द्र गोयल ने कहा कि प्रथम चरण में 482 गांवों में से 100 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों को प्राथमिकता से लाभान्वित किया जाएगा। यहां हर घर में नल से पानी सप्लाई होगा।

बनेंगे गरीबों के लिए आशियाने

प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बेघर लोगों को अपना घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना पर सरकार अगले तीन सालों में 8000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करेगी। इस राशि में 60 फीसदी हिस्सा केन्द्र सरकार देगी, जबकि 40 फीसदी राशि राज्य सरकार वहन करेगी।

प्रदेश में इस योजना की शुरुआत बांसवाड़ा जिले से की जा चुकी है। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 तक प्रदेश में 6 लाख 75 हजार आवास बनाए जाने हैं।

सफाई में हम फिसड्डी

अफसोस है, देश के 434 शहरों में से साफ-सफाई के मामले में राजस्थान का एक भी शहर पहले 150 शहरों की सूची में अपना नाम नहीं जुड़वा पाया। क्यों स्मार्ट सीटी बनने का ख्वाब देखने वाला जयपुर भी अपने ऊपर नाकामी का दाग लगा बैठा? सवाल यह भी है कि क्यों हमारा प्रशासन मध्यप्रदेश, गुजरात, और महाराष्ट्र से गया-बीता साबित हुआ, जिनके शहरों के नाम पहले 15 की सूची तक में काबिज है?

जनता अधिकारियों की कार्य प्रणाली को दोषी मानती है। जनप्रतिनिधि जनता का असहयोग होना इसका कारण बताते हैं। मीडिया बस आरोप-प्रत्यारोप का माध्यम बन जाता है, लेकिन वास्तविक कारणों पर प्रकाश नहीं डालता। शहरी प्रबंधन बाहरी सुशासन की कमियों के कारण दुरुस्त नहीं हो पा रहा। राज्य सरकार शहरी निकायों को अधिक सशक्त करे, तो बात बन सकती है। जनता की सहभागिता से भी कई सुधार लाए जा सकते हैं। -रामशरण तिवाड़ी, जयपुर

राष्ट्रीय महिला नीति की तैयारी...

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नेतृत्व में बने मंत्री समूह ने महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई है। इसे जल्द ही सार्वजनिक किया जा सकता है। अगर नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई तो सरकार बुजुर्ग और खासकर विधवा महिलाओं के जीवनयापन में मदद को प्राथमिकता देगी।

महिला नीति में महिलाओं के लिए आधार से जुड़े हेल्थ कार्ड बनाकर मुफ्त स्वास्थ्य जांच, आयकर में राहत, गर्भवती महिलाओं के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा, मुफ्त कानूनी सहायता देने जैसी कई सुविधाएं प्रदान करने के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा से बड़ा है जल संरक्षण

नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा से बड़ी जल संरक्षण की चुनौती है। इसमें इजरायली तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इजराइल न केवल बूंद-बूंद पानी का सदुपयोग करता है बल्कि उसने बहुत कम पानी से फसलों के भरपूर उत्पादन की तकनीक विकसित कर ली है। सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं में उसकी तकनीक बहुत ही कारगर रही है।

इजराइल फसलों में कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करता है। अनाज के भंडारण की तकनीक भी बेहतर साबित हुई है। उन्होंने कहा कि देश में इस तकनीक के प्रयोग से किसानों की आय में वृद्धि होगी।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

आप उपभोक्ता सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी अथवा शिकायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र
कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)
डी-218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
ई-मेल: gsk@cuts.org फोन +091.141.4015395

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स', जयपुर